न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : मोहन सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 248/16 (वाद)

1. श्रीमती बेबी तंवर पत्नी जवानसिंह दरोगा, राजपूत निवासी भोपालपुरा, उदयपुर।
2. श्री गजेन्द्रसिंह तंवर पिता जवानसिंह दरोगा, राजपूत निवासी भोपालपुरा, उदयपुर।

.....वादीगण

बनाम्

1. श्रीमती नीतु पुत्री जवानसिंह दरोगा पत्नी दीपकसिंह चौहान निवासी म.न. 178 सेन्ट्रल एरिया गारियावास सवीना उदयपुर।
2. श्रीमती अंजली पुत्री जवानसिंह दरोगा पत्नी पर्वतसिंह सोलंकी निवासी म.न. 53 ए. श्रीराम कॉलोनी, प्रतापनगर उदयपुर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
4. पटवारी, पटवार हल्का रख्यावल तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री जयेश जैन, अधिवक्ता वादीगण।

2. श्री पंकज औदिच्य, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1, 2

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 28.06.2019

1. वादीगण द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा विठोली पटवार क्षेत्र रख्यावल में स्थित आराजी नम्बर 3 से 15, 17 से 21 किता 18 रकबा 37 बीघा 17 बिस्वा। उक्त कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में लक्ष्मणसिंह पिता चतरसिंह दरोगा सा. देलवाडा जिनका देहावसान दिनांक 12.02.1959 को हो चुका है, के नाम स्वतंत्र खातेदारी में दर्ज है, मृत्यु प्रमाणपत्र की फोटो प्रति साथ संलग्न है ।
2. यह कि वाद पत्र में अंकित कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में लक्ष्मणसिंह पिता चतरसिंह दरोगा जिनका देहावसान हो चुका है, के नाम पर स्वतंत्र खातेदारी हक से दर्ज हो, उक्त कृषि भूमि तत्कालिन समय से ही स्वर्गीय लक्ष्मणसिंह के एकल स्वामित्व व आधिपत्य में चली आ रही थी, जो हम वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के पूर्वज हो उनके जीवितकाल में कब्जे काश्त में थी, विरासत से हम वादीगण का स्वर्गीय लक्ष्मणसिंह पिता

चतरसिंह दरोगा के नाम अंकित कृषि भूमि उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि में हक स्वत्व निहीत होकर कब्जे काश्त में पिछले कई वर्षों से चली आ रही है।

3. हम वादीगण का सजरा खानदान निम्न पेश किया :–

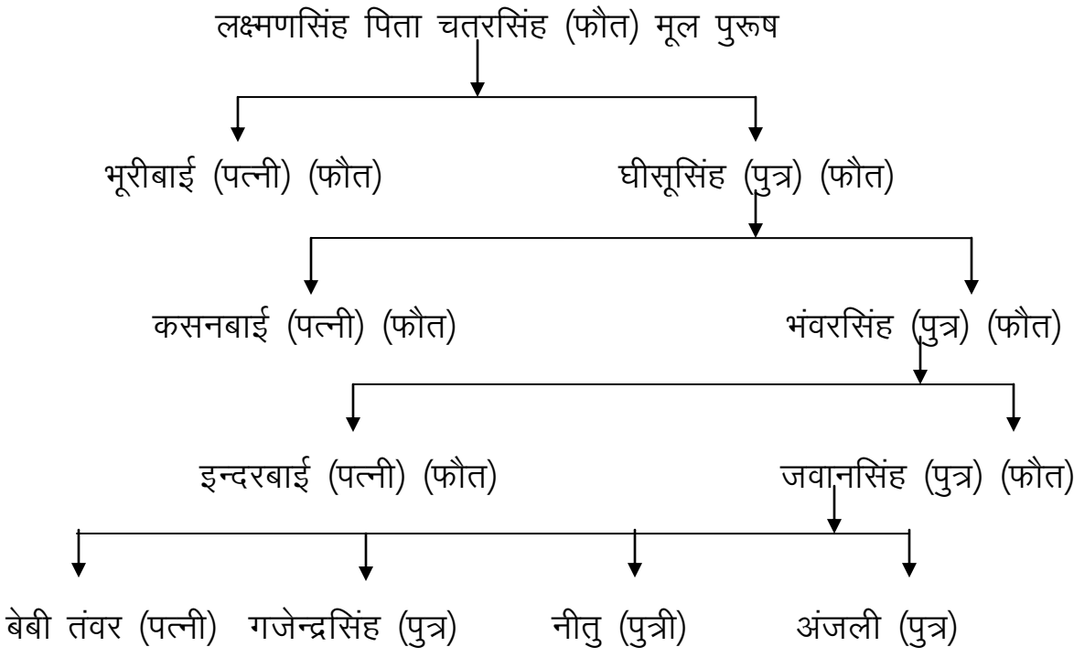

4. मूल पुरूष स्वर्गीय लक्ष्मणसिंह पिता चतरसिंह दरोगा, के विधिक वारिसान में भुरीबाई (बेवा), व घीसूसिंह (पुत्र) जिनका भी देहावसान हो चुकी है, स्वर्गीय घीसूसिंह की बेवा करानबाई व एक पुत्र भवरसिंह जिसका भी देहावसान हो चुका है, तथा स्वर्गीय भंवरसिंह की बेवा इन्दरबाई व पुत्र जवानसिंह जिनका भी देहावसान हो चुका है, स्वर्गीय जवानसिंह के विधिक वारिसान उत्तराधिकारीगण में वादीया संख्या 01 स्वर्गीय जवानसिंह की बेवा एवं वादी संख्या 02 स्वर्गीय जवानसिंह का जायन्दा पुत्र एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 स्वर्गीय जवानसिंह की जायन्दा पुत्रीयाँ हो विधिक वारिसान उत्तराधिकारीगण होने से वादपत्र में अंकित कृषि भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में हम वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पूर्वज स्वर्गीय लक्ष्मणसिंह पिता चतरसिंह दरोगा के नाम पर स्वतंत्र खातेदारी में दर्ज है, उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि में विरासत से हक स्वत्व होकर उक्त स्वर्गीय लक्ष्मणसिंह पिता चतरसिंह दरोगा के नाम अंकित कृषि भूमि संयुक्त स्वामित्व व हक हिस्से अनुसार संयुक्त कब्जे उपभोग में पिछले कई वर्षों से चली आ रही है, तथा कब्जे काश्त में हो मालिक स्वामी है।

5. यह कि हम वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के पूर्वजों द्वारा उक्त कृषि भूमि की विरासत का नामान्तकरण नहीं खुलवा पाने के कारण उक्त सम्पूर्ण कृषि

भूमि वर्तमान समय तक मूल पुरूष स्वर्गीय लक्ष्मणसिंह के नाम पर ही राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में स्वतंत्र खातेदारी में चली आ रही है, जबकि उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि जो पैतृक कृषि भूमि है, तथा उक्त पैतृक कृषि भूमि में हम वादी संख्या 01 स्वर्गीय जवानसिंह की बेवा वादी संख्या 02 स्वर्गीय जवानसिंह का जायन्दा पुत्र व प्रतिवादी संख्या 01 एवम प्रतिवादी संख्या 01 व 02 स्वर्गीय जवानसिंह की जायन्दा पुत्रीयों अर्थात विधिक वारिस उत्तराधिकारीगण होने से व जन्म से ही अधिकार प्राप्त होकर उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि के हिस्से अनुसार मालिक स्वामी है, उक्त कृषि भूमि पिछले कई वर्षों से हिस्से अनुसार कब्जे उपभोग में है, व प्रतिवर्ष फसल बुवाई कर पैदावार लेते आ रहे है, व उक्त कृषि भूमि को काफी खर्चा कर आवादान की है, व इसलिए उक्त कृषि भूमि को अपनी स्वतंत्र खातेदारी घोषित कराने का अधिकारी है।

6. यह कि वाद कारण दिनांक 05–11–2016 को जब हम वादीगण द्वारा हक हिरसे अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में स्वतंत्र खातेदारी में दर्ज कराने की कार्यवाही हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने कोई ध्यान नहीं दिया, तब उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। अतः प्रार्थना है कि वादीगण के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि वादीगण के नाम हिस्से अनुसार संयुक्त खातेदारी हक से घोषित फरमाई जावे, व हम वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 का उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि में हक स्वत्व घोषित कराया जाकर राजस्व रेकार्ड में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम का अंकन कराया जावें व हम वादीगण के हक हिस्सें व कब्जे उपभोग की कृषि भूमि का लगान का अलग से बरफाल कराया जावें। खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावें।

7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 द्वारा स्वीकारात्मक जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में वर्णित आराजीयात पूर्व में श्री लक्ष्मण सिंह पिता स्व. चत्तरसिंह दरोगा साकिन देलवाडा के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज आराजीयात को वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के उक्त स्व. लक्ष्मणसिंह के विधिक वारिसान व उत्तराधिकारीगण होने के कारण वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 का नाम संयुक्त रूप से हिस्सानुसार खातेदारी हक से घोषित कराया जाकर इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराया जावें तो इसमें

प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं हैं। प्रकरण में राजपेरोकार द्वारा जवाब नहीं देना चाहा। प्रकरण में साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई।

8. वादीगण द्वारा वाद के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्रीमती बेबी तंवर, पीडब्ल्यू 2 श्री गजेन्द्रसिंह का पेश किया।

9. वादीगण द्वारा दस्तावेज नकल जमाबन्दी प्रदर्श 1, लक्ष्मणसिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 2ए, भूरीबाई का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 3ए, घीसुसिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 4ए, कसनबाई का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 5ए, भंवरसिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 6ए, इन्दरबाई का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 7ए, जवानसिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 8ए, नामान्तरण खुलवाने के प्रार्थना पत्र की नकल व सजरा प्रदर्श 9ए, बेबी तंवर के मतदाता पहचान पत्र की नकल प्रदर्श 10ए, गजेन्द्रसिंह के मतदाता पहचान पत्र की नकल प्रदर्श 11ए पेश किये।

10. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान् की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं वादीगण का वाद स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नही की।

11. हमने पत्रावली का अवलोकन किया दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान् की बहस पर बगौर मनन किया। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में लक्ष्मणसिंह पिता चतरसिंह दरोगा सा. देह देलवाडा के नाम पर दर्ज हैं। वादीगण वाद में प्रस्तुत सजरे अनुसार मूल पुरूष लक्ष्मणसिंह जी थे जिनकी मृत्यु हो चुकी हैं। उनका मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 2ए हैं। लक्ष्मणसिंह जी के वारिस पत्नी भूरीबाई व पुत्र घीसूसिंह की भी मृत्यु हो चुकी हैं, जिनके मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 3ए व 4ए हैं। घीसूसिंह के वारिसों में पत्नी कसनबाई एवं पुत्र भंवरसिंह होना बताया, जिनकी भी मृत्यु हो चुकी हैं, इनके मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 5ए व 6ए हैं। भंवरसिंह की मृत्यु होने से उनके वारिस में पत्नी इन्दरबाई व पुत्र जवानसिंह होना बताया, जिनकी भी मृत्यु हो चुकी हैं, इनके मृत्यु प्रमाण पत्र 7ए व 8ए हैं। जवानसिंह की मृत्यु होने से उनके वारिस में पत्नी वादी सं. 1 व पुत्र वादी सं. 2 एवं पुत्रियां प्रतिवादी सं. 1 व 2 होना बताया हैं। इनके अतिरिक्त अन्य कोई वारिस नहीं होने का कथन किया हैं। लक्ष्मणसिंह जी के बजाय विरासत से नामान्तरकरण खोलने हेतु तहसीलदार मावली को प्रार्थना

पत्र मय प्रमाणित सजरा का आवेदन प्रस्तुत किया जो प्रदर्श 9ए हैं। जिसमें लक्ष्मणसिंह जी के वारिसान का सजरा लक्ष्मणलाल गमेती, पार्षद, वार्ड न. 53, नगरनिगम उदयपुर द्वारा हस्ताक्षर कर रखें हैं। उक्त सजरे में भी वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के अलावा अन्य कोई विधिक वारिस होना नहीं पाया गया हैं। चूंकि वादग्रस्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के मौरूस लक्ष्मणसिंह जी के नाम वर्तमान में दर्ज हैं। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 लक्ष्मणसिंह जी के वारिस होकर इनकी मृत्यु के पश्चात् मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं। भूमि पैतृक होने से लक्ष्मणसिंह जी के बजाय वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं। अतः वादीगण का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा विठोली पटवार क्षेत्र रख्यावल में स्थित आराजी नम्बर 3 से 15, 17 से 21 किता 18 रकबा 37 बीघा 17 बिस्वा भूमि में खातेदार लक्ष्मणसिंह के बजाय वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। लक्ष्मणसिंह जी का नाम हटाया जावें। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(मोहन सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास मोहन सिंह, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्रीमती बेबी तंवर पत्नी जवानसिंह दरोगा, राजपूत निवासी भोपालपुरा, उदयपुर।
2. श्री गजेन्द्रसिंह तंवर पिता जवानसिंह दरोगा, राजपूत निवासी भोपालपुरा, उदयपुर।

.....वादीगण

बनाम्

1. श्रीमती नीतु पुत्री जवानसिंह दरोगा पत्नी दीपकसिंह चौहान निवासी म.न. 178 सेन्ट्रल एरिया गारियावास सवीना उदयपुर।
2. श्रीमती अंजली पुत्री जवानसिंह दरोगा पत्नी पर्वतसिंह सोलंकी निवासी म.न. 53 ए. श्रीराम कॉलोनी, प्रतापनगर उदयपुर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
4. पटवारी, पटवार हल्का रख्यावल तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 248/16 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मोहन सिंह R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है किः–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा विठोली पटवार क्षेत्र रख्यावल में स्थित आराजी नम्बर 3 से 15, 17 से 21 किता 18 रकबा 37 बीघा 17 बिस्वा भूमि में खातेदार लक्ष्मणसिंह के बजाय वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। लक्ष्मणसिंह जी का नाम हटाया जावें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 28.06.2019 को जारी की गई।

(मोहन सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली